[2018] 2 एस.सी.आर. 620

विजय कुमार रस्तोगी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(सिविल अपील संख्या 11011-11012 वर्ष 2017)

09 फरवरी, 2018

[दीपक मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश, ए एम खानविलकर एवं डॉ डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्तिगण]

मोटर यान अधिनियम, 1988 - धारा 166 - सिर्फ प्रतिकर - कर योग्य आय की हानि- प्रतिकर का निर्धारण करते समय विचार करना- अभिनिर्णीत: आय में वे लाभ सम्मिलित होने चाहिए जिन्हें आयकर के भुगतान के लिए ध्यान में रखा जाता है - न्यायाधिकरण ने दावेदार-अपीलकर्ता द्वारा दायर आयकर रिटर्न में बताए गए अनुसार अपने वेतन के अलावा अन्य स्रोतों से आय पर विचार नहीं करके त्रुटि की कि कमीशन और ब्याज पर विचार नहीं किया जा सकता है। आय की हानि की गणना।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

निर्धारित किया 1. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के कर विवरणी में संबंधित अवधि के लिए घोषित कर योग्य आय को 77,480/- रुपये और 4,496/- रुपये की कर कटौती के रूप में नोट किया, फिर भी यह निर्धारित किया कि अपीलकर्ता की शुद्ध आय को न्यायाधिकरण द्वारा सही तरीके से ध्यान में रखा गया है। यह अकल्पनीय है कि उच्च न्यायालय, संबंधित अवधि के लिए अपने कर रिटर्न पर आधारित अपीलकर्ता के दावे को स्वीकार करने, अपीलकर्ता की कर योग्य आय को 77,480 रुपये और 4,496 रुपये के कर की कटौती का खुलासा करने के बावजूद भी, न्यायाधिकरण के निष्कर्ष की पुष्टि कर सकता था कि अपीलकर्ता की शुद्ध वार्षिक आय 44,511/- रुपये थी। आय की हानि की गणना के लिए कर योग्य आय की गणना की जानी चाहिए थी। यह उच्च न्यायालय द्वारा की गई स्पष्ट त्रुटि है। अपीलकर्ता द्वारा 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के लिए आकलन वर्ष 2004-05 के लिए अपने कर विवरणी में घोषित कर योग्य आय की गणना, अपीलकर्ता के इस दावे को स्पष्ट रूप से पुष्ट करती है कि उसकी वार्षिक कर योग्य आय 77,480/- रुपये थी और उस पर देय आयकर 4,496 रुपये था। अपीलकर्ता की आय की हानि मद में राशि 72,984/- रुपये होगी, न कि 44,511/- रुपये जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा माना गया है। [पैरा 11, 12]

2. अपीलकर्ता ने अपनी मारुति कार को हुए नुकसान के लिए अतिरिक्त प्रतिकर का भी दावा किया है, जो अपीलकर्ता के अनुसार, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। न्यायाधिकरण ने इस दावे का बिल्कुल भी विश्लेषण नहीं किया। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह शिकायत की थी और इसके लिए 80,000 रुपये के प्रतिकर का दावा किया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर दावे को निरस्त कर दिया कि अपीलकर्ता किसी भी दस्तावेज पर उसका ध्यान आकर्षित करने में विफल रहा था, जो दर्शाता है कि अपीलकर्ता ने कार की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये का खर्च किया था। इन अपीलों में भी, अपीलकर्ता उक्त दावे के समर्थन में पत्रवाली पर किसी भी दस्तावेज पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने में

विफल रहा। विचाराधीन मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई राय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। [पैरा 14]

सैयद सादिक बनाम डिवीजनल मैनेजर यूनाइटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड **(2014) 2 एससीसी 735**; नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव और अन्य। **(2008) 2 एससीसी 763: [2007] 13 एससीआर 352;** ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जशुबेन और अन्य। **(2008) 4 एससीसी 162: [2008] 2 एससीआर 930**; कविता बनाम दीपक एवं अन्य. **(2012) 8 एससीसी 604** - पर आश्रय व्यक्त किया गया।

<u>वाद विधि संदर्भ</u>

[2007] 13 एससीआर 352	**निर्भरता**	**पैरा 11**
[2008] 2 एससीआर 930	**निर्भरता**	**पैरा 11**
(2012) 8 एससीसी 604	**निर्भरता**	**पैरा 11**
(2014) 2 एससीसी 735	**निर्भरता**	**पैरा 13**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 11011-11012 वर्ष 2017

मोटर दुर्घटना दावा अपील संख्या 393 वर्ष 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के के निर्णय और आदेश दिनांक 06.12.2016 से

अपीलकर्ता के अधिवक्ता सुश्री रेखा रस्तोगी, प्रणब कुमार मलिक, श्रीमती सोमा मलिक, सेबत कुमार देवरिया।

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर द्वारा सुनाया गया था

1. वर्तमान अपील 6 दिसंबर, 2016 को मोटर दुर्घटना दावा अपील संख्या 393/2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर आपत्ति करती है, जिसमें उच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा अपीलकर्ता को दी गई प्रतिकर राशि को बढ़ाने से इनकार कर दिया और 18 जनवरी, 2017 के आदेश में 2017 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 20 को निरस्त कर दिया।

2. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (संक्षेप में, "न्यायाधिकरण") ने दिनांक 4 अप्रैल, 2009 के आदेश के अंतर्गत अपीलकर्ता और उसके ससुर को क्रमशः 5,59,584/- रुपये और 4,53,131/- रुपये का प्रतिकर दिया, जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता और उसके ससुर द्वारा एक-एक और प्रत्यर्थी द्वारा दो विरोधी अपील कुल चार अपीलें योजित की गईं। जिनमें से सभी को आक्षेपित निर्णय द्वारा निस्तारित गया था। अकेले अपीलकर्ता ने इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए बढ़ी हुई प्रतिकर राशि प्रदान करने के लिए प्रार्थना किया है।

3. जैसा कि दावा याचिका से पता चलता है, अपीलकर्ता और उसके ससुर को 26 जनवरी, 2005 को गंभीर चोटें आईं, जब उनकी कार को बस सं. यूपी-25-जी-9132 द्वारा टक्कर मार दी गई थी, जिसका स्वामित्व प्रत्यर्थी के पास है और जिसे आलम बेग नामक व्यक्ति द्वारा लापरवाही से चलाया जा रहा था। अपीलकर्ता को लगी चोटों की सीमा में रक्तस्राव, कई कट, पूरे शरीर में चोट और फ्रैक्चर व पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी सम्मिलित थे। अपीलकर्ता का कई अस्पतालों में इलाज किया गया और शल्य चिकित्सा किया गया लेकिन 25% की विकलांगता का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने न्यायाधिकरण, कड़कड़डूमा, दिल्ली में बस सं. यूपी-25-जी-9132 के ड्राइवर आलम बेग व प्रत्यर्थी के विरुद्ध 27 जनवरी, 2006 को दावा याचिका योजित की।

4. अन्तत, अधिकरण ने दिनांक 4 अप्रैल, 2009 के आदेश के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था दी कि बस सं यूपी-25-जी-9132 को चालक आलम बेग द्वारा लापरवाही से चलाया गया था और तदनुसार, अपीलकर्ता को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 5,59,584/- रुपये का प्रतिकर दिया गया:

"23 सभी प्रासंगिक कारकों, उपरोक्त मामलों में निर्धारित कानून के सिद्धांतों और रिकॉर्ड पर सबूतों को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता निम्नलिखित विवरणों के अनुसार प्रतिकर का हकदार है:

1. दवाओं की लागत	*: रु.1,08,883.00*
2. भविष्य के उपचार की लागत	*: रु. 25,000.00*
3. आय की हानि	*: रु. 40,802.00*
4. भविष्य की आय का नुकसान	*: रु.1,78,044.00*
5. 15 दिनों के लिए आय की हानि	*: रु. 1,854.62*
6. जीवन और अंग आदि के आनंद की हानि	*: रु.1,00,000.00*
7. दर्द और पीड़ा	*: रु. 50,000.00*
8. परिचारक के लिए प्रतिकर	*: रु. 20,000.00*
9. विशेष आहार	*: रु. 20,000.00*
10. वाहन	*: रु. 15,000.00*
कुल	*: रु.5,59,583.62*

अथवा :रु.5,59,584.00" कहा जाय।

5. यह ध्यान दिया जाए कि न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 17 में प्रदर्श पीडब्ल्यू -6/एफ, को विज्ञापित किया है, जिसमें अपीलकर्ता की जन्म तिथि 7-11-1969 बताई गई है और उस आधार पर, एक निष्कर्ष लेखबद्ध किया गया है कि 26 जून, 2005 को दुर्घटना की तिथि पर, अपीलकर्ता की आयु 36 वर्ष थी। इसके अतिरिक्त, न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 16 में इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि दुर्घटना की तिथि पर अपीलकर्ता मैसर्स स्टैडमेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ चिकित्सा प्रतिनिधि के रूप में कार्यरतथा, और दुर्घटना के बाद वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सका क्योंकि वह बिस्तर तक ही सीमित रहा।

6. न्यायाधिकरण ने यह लेखबद्ध करते हुए कि अपीलकर्ता ने अपने वेतन के अतिरिक्त बैंक ब्याज और कमीशन जैसे 'अन्य स्रोतों' से 50,556/- रुपये की राशि अर्जित की, उक्त आय पर इस आधार पर विचार नहीं किया कि आय की हानि की गणना के लिए कमीशन और ब्याज पर विचार नहीं किया जा सकता है। अपीलकर्ता ने वर्ष 2004-05 के लिए अपने आयकर रिटर्न को इस प्रमाण के रूप में संलग्न किया था कि उसकी कर योग्य आय न्यायाधिकरण द्वारा विचार की गई राशि से काफी अधिक थी, जैसा कि नीचे दिया गया है:

"आय का विवरण

करदाता का नाम		*विजय कुमार रस्तोगी*
पिता का नाम		*श्री नन्द किशोर रस्तोगी*
जन्म तिथि		*7 नवंबर 1969*
पता	*कार्यालय*	*स्टैडमेड प्राइवेट लिमिटेड 138-बी, मोहम्मद पुर, नई दिल्ली - 110066*
	आवासीय	*सी-40, जेडआई, दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110095*
प्रास्थिति		*: वैयक्तिक*
आवासीय स्थिति		*: निवासी और सामान्य रूप से भारत में निवास*
स्थायी खाता स्थिति		*: AEYPR8620R*
पिछला वर्ष समापन?		*: 31 मार्च 2004*
मूल्यांकन		*: 2004-2005*

<u>कर योग्य आय की गणना</u>

<u>वेतन से आय</u>		
वेतन से सकल प्राप्ति निम्नानुसार		
वेतन प्रमाण पत्र	*66,766.50*	
कम: धारा 16 (i) के अंतर्गत मानक कटौती	*<u>22,225.50</u>*	*44,511.00*
<u>व्यवसाय या पेशे से आय</u>		
आय के अनुसार आय और व्यय लेखा	*99,805.00*	
कम: उक्त मद के अंतर्गत अनाच्छादित आय		
वेतन से आय	*66,766.50*	
अन्य स्रोतों से आय	*50,556.50*	*(17,518.00)*
<u>अन्य स्रोतों से आय</u>		
बैंक ब्याज	*72.00*	
आयोग	*<u>50,454.00</u>*	*<u>50,556.50</u>*
सकल कुल आय		*77,549.50*
<u>कम: छूट U/S 80L</u>		
बैंक ब्याज	*<u>72.00</u>*	
सकल कुल आय	*<u>77,477.50</u>*	

आय में वृद्धि		*77,480.00*
रु. 77480/- पर आयकर देय		*4,496.00*
कम: कटौती U/s 88		
ईपीएफ योगदान	*6,491.00*	
एलआईपी भुगतान	*13,225.00*	
	19,716.00	
अनुमत राशि @ 20%	*3,943.00*	
बकाया कर	*553.00*	
कर का भुगतान	*553.00*	
देय/प्राप्य शेष राशि	*शून्य*	
(विजय कुमार रस्तोगी)"		

7. न्यायाधिकरण के निर्णय से व्यथित, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील योजित की, जिसमें आरोप लगाया गया कि निर्णय पारित करते समय, न्यायाधिकरण ने अन्य स्रोतों से उनकी आय की उपेक्षा करते हुए और मानक कटौती पद्धति का पालन करके अपीलकर्ता द्वारा अर्जित वास्तविक आय को कम करते हुए गलती से उनकी आय की गणना 44,511 रुपये प्रति वर्ष की थी। आक्षेपित निर्णय में, उच्च न्यायालय ने यह लेखबद्ध करते हुए कि अपीलकर्ता की कर योग्य आय 77,480/- रुपये कम थी, 4496/- रुपये का कर भुगतान किया गया था, और यह स्वीकार करते हुए कि दुर्घटना बस चालक आलम बेग के लापरवाही से ड्राइविंग के कारण हुई थी और दुर्घटना के कारण में अपीलकर्ता का कोई योगदान नहीं था, केवल दिए गए प्रतिकर पर ब्याज की दर को 7% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया क्योंकि यह महसूस किया गया कि दी गई ब्याज की दर कम थी, लेकिन इसने प्रतिकर में वृद्धि नहीं की, इस आधार पर कि वृद्धि के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था। अपीलकर्ता ने एक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उपरोक्त निर्णय को चुनौती दी, जिसे भी निरस्त कर दिया गया।

8. हमारे विचारार्थ जो संक्षिप्त मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अधिकरण द्वारा दिए गए प्रतिकर को बरकरार रखते हुए अपीलकर्ता की मारुति कार को हुए क्षति की गणना में 80,000/- रुपये के प्रतिकर सहित अपीलकर्ता की आय के अन्य स्रोतों पर विचार न करके स्पष्ट त्रुटि की है?

9. हमने अपीलकर्ता के अधिवक्ता सुश्री रेखा रस्तोगी और प्रत्यर्थी के अधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद को भी सुना।

10. इन अपीलों में जिस प्रमुख मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह संबंधित अवधि के दौरान अपीलकर्ता द्वारा अर्जित कमीशन और ब्याज राशि के संदर्भ में दावे से इनकार करने के बारे में है, जैसा कि अपीलकर्ता द्वारा दायर आयकर रिटर्न में बताया गया है। अपीलकर्ता ने दो शीर्षों के अंतर्गत अन्य स्रोतों से आय का दावा किया, अर्थात्, बैंक ब्याज: रु. 72 /-; और कमीशन: रु. 50,454/- न्यायाधिकरण ने यह माना कि आय की हानि की गणना के लिए कमीशन और ब्याज पर विचार नहीं किया जा सकता है और अपीलकर्ता के दावे को केवल उसकी शुद्ध वार्षिक वेतन आय के आधार पर रु. 44,511/- रुपये तक सीमित कर दिया। न्यायाधिकरण ने कहा कि अपीलकर्ता ने अपनी उम्र, शैक्षिक योग्यता या पेशे का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 11 में इस प्रकार कहा:

"11. घायलों की शुद्ध आय से भुगतान किए गए कर की कटौती के संबंध में- विजय कुमार रस्तोगी के संबंध में, मैंने पाया कि घायल विजय कुमार रस्तोगी की कर रिटर्न (प्रदर्श-पीडब्ल्यू-6/एफ) के अनुसार कुल आय 77477.50/- रुपये है और 4,496/- रुपये के कर की कटौती के बाद शुद्ध आय को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा सही तरीके से ध्यान में रखा गया है। घायल विजय कुमार रस्तोगी की 25% विकलांगता को कार्यात्मक विकलांगता के रूप में लिया गया है, जबकि यह दृष्टिगत रखते हुए घायल- कि विजय कुमार रस्तोगी चिकित्सा प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। घायल- विजय कुमार रस्तोगी की सकल आय लेते समय प्रतिकर में वृद्धि का कोई मामला नहीं बनता है जैसा कि ऐसे मामलों में प्रतिकर का आकलन करते समय शुद्ध आय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जहां तक 15 के गुणक के अनुप्रयोग का संबंध है, मैं पाता हूं कि घायल विजय कुमार रस्तोगी के मामले में 15 के गुणक को अपनाया जाना चाहिए था, लेकिन 16 के गुणक को अपनाने से प्रतिकर में अंतर मामूली है और यह इस तथ्य से निर्धारित होता है कि घायल विजय कुमार रस्तोगी की भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया गया है और इसलिए, यह न्यायालय इस आधार पर दिए गए प्रतिकर में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है।"

11. आश्चर्यजनक रूप से, उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक अवधि के लिए अपीलकर्ता के कर रिटर्न में घोषित कर योग्य आय को 77,480/- रुपये (पूर्णांकित) और 4,496/- रुपये की कर कटौती के रूप में लेखबद्ध किया, फिर भी यह कहते हुए आगे बढ़ा कि अपीलकर्ता की शुद्ध आय को न्यायाधिकरण द्वारा सही तरीके से ध्यान में रखा गया है। यह समझ से परे है कि उच्च न्यायालय ने संबंधित अवधि के लिए अपने कर रिटर्न पर स्थापित अपीलकर्ता के दावे को स्वीकार करने, अपीलकर्ता की कर योग्य आय को 77,480/- रुपये (पूर्णांकित) और 4,496/- रुपये के कर की कटौती का खुलासा करने के बावजूद, न्यायाधिकरण के निष्कर्ष की पुष्टि हो सकती थी कि अपीलकर्ता की शुद्ध वार्षिक आय 44,511/- रुपये थी। ये की हानि की गणना के लिए कर योग्य आय की गणना की जानी चाहिए थी। यह, हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा की गई स्पष्ट त्रुटि है। अपीलकर्ता का इस न्यायालय के निर्णयों पर आश्रय व्यक्त करना न्यायोचित्त है, जिसमें यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि कर योग्य आय की हानि की गणना को उचित प्रतिकर का निर्धारण करने के उद्देश्य से गणना की जानी चाहिए जैसा की इसका उल्लेख ***नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इंदिरा श्रीवास्तव एवं अन्य*** में किया गया है, जिसका अनुगमन ***ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जशुबेन और अन्य,*** और ***कविता बनाम दीपक और अन्य*** के मामले में किया गया है। यह माना गया है कि "आय" में उन लाभों को या तो धन के संदर्भ में या अन्यथा सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिन्हें आयकर या पेशेवर कर के भुगतान के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाता है, हालांकि इसके कुछ तत्व विधि के अंतर्गत प्रदान की गई छूट के कारण कर योग्य हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं।

12. अपीलकर्ता द्वारा 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए पिछले वर्ष के लिए कर निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिए अपने कर विवरणी में प्रकट की गई कर योग्य आय की गणना, अपीलकर्ता के इस दावे को स्पष्ट रूप से पुष्ट करती है कि उसकी वार्षिक कर योग्य आय 77,480/- रुपये (पूर्णांकित) थी और उस पर बकाया आयकर 4,496/- रुपये था अपीलकर्ता द्वारा देय आयकर की कटौती प्रदान करने के बाद, अपीलकर्ता की 'आय की हानि' मद की राशि 72,984 रुपये होगी, न कि 44,511/- रुपये जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा माना गया है।

13. दूसरे शब्दों में, '11 महीनों के लिए आय की हानि' शीर्षक के अंतर्गत प्रतिकर (72,984 रुपये ÷ 12) x 11 = 66,902 रुपये होगा। इसी प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा 'भविष्य

की आय की हानि' शीर्षक के लिए अपीलकर्ता को उसके निचले अंग के संबंध में 25% की सीमा तक विकलांगता के आधार पर गणना की गई और यह ध्यान में रखते हुए कि दुर्घटना की तिथि को अपीलकर्ता की आयु केवल 36 वर्ष थी और ***सैयद सादिक बनाम डिवीजनल मैनेजर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड*** (पैराग्राफ 10 और 11) के मामले में के अनुसार, अपीलकर्ता 72,984/- रुपये का 40% यानी 29,194/- रुपये (पूर्णांकित) x 15 (गुणक) का 40% हकदार होगा, जो 4,37,910/- रुपये बनता है। इस प्रकार, अपीलकर्ता इन दो मदों के अंतर्गत न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 40,802/- रु और 1,78,044/- रु के स्थान पर बढ़ा हुआ प्रतिकर [66,902 रुपये - 40,802 रुपये = 26,100 रुपये (छब्बीस हजार एक सौ रुपये)] और 4,37,910 रु - 1,78,044 रु. = 2,59,866 रु (दो लाख उनतालीस हजार आठ सौ छियासठ रूपये) प्राप्त करने का हकदार होगा। दूसरे शब्दों में, इन दोनों मदों के लिए प्रतिकर की राशि में 2,85,966/- रुपये (केवल दो लाख पचासी हजार नौ सौ छियासठ रुपये) की वृद्धि होगी, जिसके लिए अपीलकर्ता हमारे निर्णय के संदर्भ में 9% (नौ प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ हकदार होगा।

14. अपीलकर्ता ने अपनी मारुति कार को हुए नुकसान के लिए अतिरिक्त प्रतिकर का भी दावा किया है, जो अपीलकर्ता के अनुसार, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जैसा कि मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट (प्रदर्श पीडब्ल्यू -6/डी) और थर्ड पार्टी बीमा प्रदान करने वाली कंपनी द्वारा प्रदत्त कार का मूल्य (प्रदर्श पीडब्ल्यू -6/ई) में उल्लेख किया गया है। न्यायाधिकरण के निर्णय का सावधानीपूर्वक जांच करने पर, हम पाते हैं कि न्यायाधिकरण ने इस दावे का बिल्कुल भी विश्लेषण नहीं किया है। यह शिकायत अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष की गई थी, जैसा कि आक्षेपित निर्णय के पैरा 9 में उल्लेख किया गया है, जिसके लिए 80,000/- रुपये के प्रतिकर का दावा किया गया है। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के पैराग्राफ 13 में इस दावे को निरस्त कर दिया कि अपीलकर्ता किसी भी दस्तावेज पर उसका ध्यान आकर्षित करने में विफल रहा है, जो यह दर्शाता है कि अपीलकर्ता ने कार की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये खर्च किया था। वर्तमान अपीलों में भी, अपीलकर्ता उक्त दावे के समर्थन में पत्रवाली पर किसी भी दस्तावेज पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने में विफल रहा है। नतीजतन, हमें विचाराधीन मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त राय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

15. सबसे पहले, अपीलकर्ता न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका योजित करने की तिथि से वसूली की तिथि तक 9% (नौ प्रतिशत) प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 'आय की हानि' और 'भविष्य की आय की हानि' के लिए बढ़े हुए प्रतिकर के रूप में 2,85,966/- रुपये (केवल दो लाख अस्सी-पांच हजार नौ सौ छियासठ रुपये) की अतिरिक्त राशि प्राप्त करने में सफल होगा।

16. उपरोक्त शर्तों में अपीलों को उस सीमित सीमा तक स्वीकृत किया जाता है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अपील स्वीकृत।

अनुवादकर्ता
मणि यज्ञेश त्रिपाठी
अधिवक्ता,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय